

करोड़ों रुपये का लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाली अन्तर्राज्यीय गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे

जयपुर। भांकरोटा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक और फाइनेंस कंपनी से करोड़ों रुपये का लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाली अन्तर्राज्यीय गैंग की एक महिला सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गैंग के लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन पर वाहन लेकर उनकी फर्जी एनओसी के आधार पर आगे बेचते थे। जिस से बैंकों और फाइनेंस कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके अलावा गैंग के सदस्य कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और इनके खिलाफ दो दर्जन से अधिक मामले अलग-अलग थायों में दर्ज हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि जयपुर। भांकरोटा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक और फाइनेंस कंपनी से करोड़ों रुपये का लोन लेकर धोखाधड़ी करने



भांकरोटा थाना पुलिस ने अन्तर्राज्यीय गैंग की एक महिला सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया।

वाली अन्तर्राज्यीय गैंग के विजय कुमार अग्रवाल (40) निवासी नांदौती जिला करौली हाल प्रतापनगर जयपुर,सजल अग्रवाल(25) निवासी श्रीमाधोपुर हाल प्रतापनगर जयपुर और इमरान खान (30) निवासी महु खास जिला करौली हाल प्रतापनगर जयपुर को

गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपित विजय कुमार पिछले कई सालों से अपने गिरोह में बाहरी राज्यों के एवं जानकार लोगों को शामिल करता। उनको अपने किराए के अपार्टमेंट में रखता। उस अपार्टमेंट के किरायानामा के आधार पर गिरोह के

■ **आरोपित विजय कुमार पिछले कई सालों से अपने गिरोह में बाहरी राज्यों के एवं जानकार लोगों को शामिल करता**

सदस्य के आधार कार्ड में पता आदि चेंज करवा कर बैंक अकाउंट खुलवा देता। उसे बैंक अकाउंट में दो-तीन महीने तक ट्रॉजैक्शन कर अलग-अलग बैंकों से वाहन खरीदने के नाम पर लोन लिया जाता था। लोन की दो-तीन किस्त देने के बाद आरटीओ में फर्जी एनओसी देकर आरसी अपने ही गिरोह के दूसरे सदस्य के नाम ट्रॉंसफर करवा दी जाती थी। इसके बाद विजय कुमार वाहन को स्पिनी या अन्य कंपनियों में फर्जीवाड़ा कर बनाई गए दस्तावेजों के आधार पर बेच दी जाती थी।

आरोपित विजय कुमार बहुत ही

शातिर किस्म का व्यक्ति है। इसके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहनों पर लोन करवा कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन की एनओसी बनाकर वाहन बेचे गए हैं। जिनके अलग-अलग जिलों में मुकदमे दर्ज हैं।गौरतलब है कि दो जून को भांकरोटा थाने पर वेल्यू ड्राइव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (स्पिनी) की ओर से मामला दर्ज कराया था कि स्पिंगिंग कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेकंड हैंड कारों की बेचने और खरीदने का काम करती है।जिसके चलते जनवरी 2025 में एक व्यक्ति ने अपना कार हंडई वेन्यू 2024 मॉडल बेचने के लिए संपर्क किया था। उस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कार की नई आरसी कार्ड से कंपनी के साथ फर्जी और धोखाधड़ी कर कंपनी को कार बेची और इसी प्रकार से पूर्व में भी लगभग 8-10 कार बेच चुका है।

■ **जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की नाराजगी और अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत के पत्र के 11 दिन बाद जेडीए प्रशासन ने रिलीव ऑर्डर जारी किए**

भी मंगलवार को अपने नए पद को नहीं संभाला।

27 मई को अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने खुद जयपुर विकास प्राधिकरण कमिशनर आनंदी को पत्र लिखकर 15 जनवरी 2025 के ट्रॉंसफर आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आग्रह करते हुए प्रतिनियुक्ति पर जेडीए में लगे दी दिनेश कूकना को तत्काल प्रभाव से रिलीव करने के आदेश दिए थे। सावंत ने पत्र में लिखा

विधायक सराफ ने डामर सड़क का शिलान्यास किया

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने वार्ड 150 गंगवाल पार्क में टी पॉइंट से जैएलएन मार्ग तक डामर सड़क एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स का शिलान्यास किया। सराफ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है विकास का कोई भी काम नहीं रुकेगा। और नगर निगम ग्रेटर ने सभी वार्डों में 50-50 लाख रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं।

■ **विधायक सराफ ने वार्ड 150 गंगवाल पार्क में टी पॉइंट से जैएलएन मार्ग तक डामर सड़क एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स का किया शिलान्यास**

की घोषणा की, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की 32 कालोनी में सीसीटीवी कैमरे लगा चुके हैं 11 कालोनी में कार्य पाइलाइन में है उनमें भी जल्दी ही कार्य पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर जयपुर शहर उपाध्यक्ष ब्रह्माकुमार सैनी, विकास समिति अध्यक्ष अनंत शर्मा, नगर निगम उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण, उपाध्यक्ष विवेकानंद गोस्वामी,मंत्री हर्ष भाटी, प्रवीण तंवर, गिरांज सोहानी, एमके माहेश्वरी, अजय बंसल,मनीषा गोधा, माला जैन, निधि बंसल,भास्कर पुरोहित एवं अन्य स्थानीय लोग मौजूद थे।

काश्तकारों ने एक जमीन को दो-दो बार बेचा

■ **भूखण्डधारी न्याय के लिए जगह जगह कर रहे हैं फरियाद**

■ **आरोपियों के खिलाफ मुकदमा, दो साल में जांच तक नहीं**

जमीन जरिए इस्करारनामा से खरीदी था। इसका प्रतिफल दो दे दिया था। सोसायटी ने इस जमीन पर श्री जगदीश धाम योजना बसाई थी। इसमें बाकायदा उनसे पैसे लेकर पट्टे दिए थे और कब्जा भी सौंपा था। उसके बाद 2005 में काश्तकार जगदीश, घासी, भौरीलाल, रामपाल पुत्र गोदू ने इस जमीन को मैसर्स प्राइम बिल्डहोम के बेचान कर दिया। इसके निदेशक पुनीत कर्नावट और गोविन्द अग्रवाल हैं। इन

दोनों ने अपनी 16 बीघा जमीन को जेडीए से आवासीय योजना अग्रव्द करा कर यहां कालोनी के निवासियों को पट्टे देने शुरू कर दिए और मूल आवर्तियों व भूखंडधारियों को बेदखल करना शुरू कर दिया है। श्री जगदीश धाम योजना में जब पीडित जन भी अपने भूखण्डों का कब्जा लेने के लिए जाते है तो उनको वहां से भगा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि श्री जगदीश धाम योजना के नाम से कोई स्कीम नहीं है। यहाँ तो हमारी स्कीम है। पीडित जब अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति के मालिक देशराज बैरवा एवं गौरी शंकर गुप्ता से मिले तो उन्होंने 7 अप्रैल 2022 को प्रताप नगर थाना में मैसर्स प्राइम बिल्डहोम के निदेशक पुनीत कर्नावट, गोविन्द अग्रवाल और काश्तकारों को खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया है।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा आधारित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

जयपुर । महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी के मुख्य आतिथ्य में एवं आईसीडीएप्स निदेशक ओपी बुनकर की उपस्थिति में मंगलवार को इंदिरा गाँधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय समेकित

■ **ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए बहुत जरूरी है सही डेटा एंट्री :- शासन सचिव महिला एवं बाल विकास**

बाल विकास सेवाएं) की ओर से प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई. सी. सी. ई.) आधारित दो दिवसीय जिला स्तरीय समूह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में कहा कि विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया जाना चाहिए। आईसीडीएप्स सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बेसलाइन डेटा की सही

चरवाहों की समस्याओं को लेकर पशुपालकों से बैठक की

जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोरामान कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में अन्य राज्यों में पशु चराने वाले पशुपालकों से बैठक की। इस बैठक में पशुपालकों ने अन्य राज्यों पर पशु चराने के लिए दंड में पशुओं को ले जाने के दौरान वन विभाग व आमजन द्वारा परेशान किए जाने का मामला उठाया। इस दौरान पशुपालकों ने राजस्थान सीमा के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंगरपुर, चितौड़गढ, भीलवाड़ा व प्रतापगढ के वन क्षेत्रों में रात पड़ाव के दौरान कई बार लूटपाट एवं खूनी संघर्ष की घटनाएँ हो चुकी हैं। पशुपालकों ने मंत्री को अवगत कराया कि जब पशुपालक अपने पशुओं को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ राज्य में खुले में पशु चराने के लिए लेकर जाते हैं तो वहां किसानों व वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मारपीट की जाती है। ऐसी स्थिति में जब पीडित पशुपालक संबंधित थाने या विभाग के उच्चाधिकारियों के पास आरोपियों की शिकायत लेकर जाते हैं तो उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इस पर पशुपालकों ने पड़ोसी राज्यों की सरकार के पशुपालकों को कारागारों में निर्बाध रूप से पशु चराने की अनुमति देने व आरोपियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। इसी तरह मध्यप्रदेश के वन क्षेत्र में निष्क्रमणीय भेड़ पालकों के पशुओं की चराई की अनुमति दिलवाने तथा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ सरकार की चरवाह नीति में स्थानीय पशुपालकों एवं निष्क्रमणीय पशुपालकों के बीच विभेद समाप्त करवाकर समान व्यवहार किए जाने के संबंधी नीति जारी करवाने का मामला उठाया गया।

नेशनल प्लेयर से जुड़े मामले में पाँक्सो कोर्ट ने जांच अधिकारी को नसीहत दी

जयपुर। क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग नेशनल प्लेयर को अभद्र इशारे करने से जुड़े मामले में जांच अधिकारी और ज्योति नगर थानाधिकारी को नसीहत दी है। वहीं अदालत ने कुछ बिंदुओं पर जांच नहीं करने पर अनुसंधान अधिकारी को चेतावनी दी है।

पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी की ओर से जांच में लापरवाही का मामला पहली बार अदालत के समक्ष आया है। ऐसे में चेतावनी दी जाती है कि यदि भविष्य में उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आया तो यह माना जाएगा कि वे जानबूझकर पीड़ित पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी को याद रखना चाहिए कि ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 व धारा 199 के अदालत आता है। अदालत ने जांच अधिकारी को कहा कि वे दिए गए निर्देशों की पालना करेंगे, ताकि अदालत को यह मानना पड़े कि मामले में की गई लापरवाही सद्भाविक चूक है न की जानबूझकर की गई चूक। वहीं अदालत ने प्रकरण के आरोपी बहादुर को 19 जून तक जेल भेज दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित और फरियादी दोनों की

सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को संरक्षित कर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे ग्रिड स्थिरता में भी सुधार होगा और गैर-सौर घंटों एवं पीक लोड के दौरान बिजली की निर्बाध व सुलभ आपूर्ति में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए सकलपे्रबद्ध है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत कर बीईएसएस प्रणाली का विकास करने के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया प्रधानमंत्री और केंद्रीय विद्युत मंत्री का आभार**
- राजस्थान को 4 हजार मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट आवर की दर से 720 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।**

सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को संरक्षित कर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे ग्रिड स्थिरता में भी सुधार होगा और गैर-सौर घंटों एवं पीक लोड के दौरान बिजली की निर्बाध व सुलभ आपूर्ति में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए सकलपे्रबद्ध है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत कर बीईएसएस प्रणाली का विकास करने के लिए तत्पर है।

चाकू से जानलेवा हमले करने वाले आरोपी को पकड़ा

जयपुर। मालवीय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू से जानलेवा हमले करने वाले एक आरोपित को पकड़ा है और उसके पास से वारदात के दौरान प्रयुक्त किया गया एक चाकू भी बरामद किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ पूर्व में कई थानों में एक दर्जन से अधिक मारपीट,हत्या,हत्या का प्रयास सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं।फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 25 मई को पीडित मनोहर सिंह पर चाकू से जानलेवा हमले करने के मामले में फरार आरोपित ज्येश शर्मा निवासी सोडाला जयपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपित आदतन अक्राधी है। जो पूर्व में पुलिस थाना में भी कई वारदात कर चुका है। जिसके खिलाफ सोडाला थाने में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

आरोपी को नहीं जानते थे तो उसे बापर्दा गिरफ्तार कर जेल में पहचान परेड कराई जाती। जिस व्यक्ति ने पीडिता के पिता को आरोपी का नाम बताया, उसके बयान दर्ज किए जाते।

इसके अलावा घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर जत्वा करने सहित आरोपी के कंट्रोल फोटो लेने के लिए भी कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक की एफआईआर के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों ने घटना देखी, उनके बयान भी दर्ज नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि सुपरविजन अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त ने भी आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार नहीं करने के तथ्य पर विचार नहीं किया।

वहीं उनके सुपरवाइजरी नोट में एक दुकान मालिक के बयान लेने के निर्देश पर ही जांच अधिकारी ने विचार नहीं किया। गौरतलब है कि गत 3 जून को पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी एक दिन पहले खेलने के लिए अकादमी जा रही थी।

रास्ते में एक दुकान पर मौजूद आरोपी ने उससे अभद्रता व्यवहार और इशारे किए। पूर्व में भी कई बार आरोपी ने उसकी बेटी को प्रताड़ित किया है। जिससे बेटी के मन में भय व्याप्त हो गया है। ऐसे में भविष्य में बड़ी घटना ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया था।

माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हैं।

इन कार्यक्रमों को प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में प्रदेश की स्थिति और बेहतर हो। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मरीज का समय पर निदान और उपचार प्रारम्भ होना बेहद आवश्यक है।

कलयुग में नाम संकीर्तन सर्वोपरि

जयपुर। मंदिर श्री माधो बिहारी जी में महंत योगेश चंद्र स्वामी के सानिध्य मे आयोजित भागवत कथा में ललित संप्रदायाचार्य महंत संजय गोस्वामी जी ने कहा कि भागवत कथा सत्रह पुराणों का सार है यह कल्पवृक्ष अमृत फल है जबकि वेद जल है सत्रह पुराण उसकी शाखाएँ हैं , जो भागवत का श्रवण चिंतन करता है वह अमरता को प्राप्त करता है।

जल संसाधन मंत्री आज सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत 11 जून, 2025 को दौसा, करौली और धौलपुर की विभिन्न जल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान में तीनों जिलों के किसानों और आमजन को पर्याप्त जल उपलब्धता की सीमातें मिलेंगी।

रावत बुधवार सुबह 10 बजे मोरेल नदी पर ग्राम समेल लालसोट में निर्मित समेल एनिकट को लोकार्पित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे पांचना बांध का पुर्नवास एवं सुधार कार्य सहित अन्य एनिकट निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। यहीं से धौलपुर की 61 करोड़ रुपए लागत से तैयार 07 एनिकट/सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह परियोजनाएं जल संरक्षण की दिशा में स्थायी समाधान और स्थानीय पर्यावरण सुधार में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

दौसा के लालसोट में समेल एनिकट के निर्माण में अब तक 19.82 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे समेल, होदायली, गुजरहेरा, मंडलिया, जगसरा, गुमानपुरा सहित आसपास के गांवों व ढाणियों को लाभ होगा। जल संग्रहण से भू-जल रिचार्ज होगा, जिससे पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल सकेगा। पशुपालन और क्यजीवों के लिए भी एनिकट उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें गेटेड प्रणाली का प्रावधान है।

रावत करौली में 28 करोड़ रुपए से

सहायक अभियंता और सहायक प्रशासनिक अधिकारी तीस हजार रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ड्रुइंग टीम ने मंगलवार को कार्यालय सहायक अभियंता एबीवीएनएल ओएंडएम चिड़वा जिला ड्रुइन्ग के सहायक अभियंता और सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तीस हजार रुपए की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी परिवारी से उसकी फाइलों को अप्रवृ करन की एवज में चालीस हजार रुपए रिश्तत मांग की जा रही है। इस दौरान रिश्तत मांग सत्यापन दोनों आरोपितों द्वारा परिवारी को फाइलों को अप्रवृ करने के लिए तीस हजार रुपए रिश्तत की मांग करना पयाा गया। कार्यवाही के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेन्द्र सिंह से रिश्तत के तीस हजार रुपए की बरामदगी की गई। एसीबी ड्रुइन्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इम्माइल खान के नेतृत्व में मंगलवार को ट्रैप की कार्यवाही करते हुए सहायक अभियंता आजाद सिंह एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेन्द्र सिंह को तीस हजार रिश्तत लेते गिरफ्तार किया गया है।